कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र स्व.श्री रामसहाय शर्मा, निवासी भण्डाना तहसील एवं जिला दौसा (राज0)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) दौसा, जिला दौसा
अपील सं0 24/2019

निर्णय दिनांक : 03.07.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) दौसा, जिला दौसा को सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित कर वॉछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति पत्रांकः डी0एम0/कोर्ट/2019/1021 दिनांक 18.06.19 द्वारा प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) दौसा द्वारा उनके पत्रांक पीए/एफ–42/आरटीआई/2019/2131 दिनांक 25.06.2019 एवं 1248 दिनांक 01.07.2019 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा द्वारा निर्धारित समयावधि में आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। जिसकी प्रति आवेदक को भी पृष्ठांकित की गई है एवं लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा का पत्र क्रमांकःपीए/एफ–42/आर.टी.आई/2019/2000 दिनांक 14.06.2019 की छायाप्रति भी संलग्न भिजवाई गई है। उक्त पत्रादि पत्रावली में संलग्न है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट को वॉछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अविचल चतुवेर्दी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा